न्यायालय अनन्य विशेष न्यायाधीश (उत्पाद), झंझारपुर

अग्रिम जमानत संख्या–461/2026
(घोघरडीहा थाना कांड संख्या–35/2026; अन्तर्गत धाराः 274, 275 बी0एन0एस0 एवं 30(ए) बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम)

बिहार सरकार बनाम अजित कुमार

दिनांक	आदेश न्यायालय के हस्ताक्षर सहित	अभियुक्ति
22.05.2026	आवेदक अभियुक्त **अजित कुमार**, उम्र–28 वर्ष, पिता–गंगा प्रसाद यादव, सा0–इनरवा, थाना–फुलपरास, जिला–मधुबनी की ओर से घोघरडीहा थाना कांड संख्या 35/2026 (अन्तर्गत धाराः 274, 275 बी0एन0एस0 एवं 30(ए) बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम) मे गिरफ्तारी की आशंका के आधार पर दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन दिनांक 11.05.2026 को उनके विद्वान अधिवक्ता विजय कुमार यादव एवं संजय कुमार सिन्हा द्वारा आज प्रचालित किया गया। आवेदन की प्रति विद्वान विशेष लोक अभियोजक अरविंद प्रसाद वर्मा को पूर्व मे ही प्रदान की गयी है। उक्त जमानत आवेदन पर उभय पक्षो के विद्वान अधिवक्ता को सुना। आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता अग्रिम जमानत आवेदन संचालित करते हुए अभिकथित करते है कि आवेदक अभियुक्त निर्दोष है तथा उनके द्वारा कोई आपराध नही किया गया है। आवेदक अभियुक्त के ओर से पूर्व मे न तो विशेष न्यायालय (उत्पाद) के समक्ष अथवा माननीय उच्च न्यायालय पटना के समक्ष कोई जमानत याचिका न तो लंबित है और न ही दाखिल किया गया है। आवेदक अभियुक्त वयस्क है तथा उनका इस कांड के अलावे अन्य कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवदेक इस कांड में जप्त मोटरसाईकिल के स्वामी है। आवेदक को इस वाद में झूठा फंसाया गया है। अभियोजन पक्ष का मामला पुरी तरह झूठा और मनगढ़त है तथा जैसा आरोप लगाया गया है वैसा कोई घटना घटित नही हुआ है। याचिकाकर्ता न्यायप्रिय व्यक्ति है एवं उनके फरार होने की कोई संभावना नहीं है। याचिकाकर्ता न्यायालय के सभी निर्देषो का अनुपालन करने को तैयार है तथा अच्छे से अच्छा जमानतदार देने को तैयार है। अतः आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता आवेदक अभियुक्त को अग्रिम जमानत का लाभ प्रदान करने किये जाने की प्रार्थना करते हैं। विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा जमानत का घोर विरोध किया गया तथा अभिकथित किया गया कि यह कांड मोटरसाईकिल निबंधन संख्या–बीआर32टी3437 के स्वामी एवं अन्य के विरूद्ध दर्ज किया गया है। याचिकाकर्ता उक्त मोटरसाईकिल के स्वामी है तथा उक्त मोटरसाइकिल से कुल 34.8 लीटर नेपाली देशी शराब बरामद किया गया है। वाद अनुसंधानरत है तथा बिहार मधनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 76(2) के अधीन अग्रिम जमानत अवेदन का वर्जना किया गया है। अतः याचना करते है कि याचिकाकर्ता के ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन पोषनीय नहीं है। उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख तथा अभिलेख पर उपलब्ध कांड दैनिकी का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद बी0एन0एस0 की धारा 274, 275 एवं बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा–30 (ए) के अंतर्गत दर्ज किया गया है। बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 76(2) के अधीन अग्रिम जमानत आवेदन का वर्जन किया गया है, परन्तु माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रामविनय यादव बनाम बिहार राज्य मे यह निर्धारित किया गया है कि बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 76(2) अन्तर्गत अग्रिम जमानत आवेदन पोषणीय नही है, फिर भी यदि मामले मे अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम दृष्टिया अपराध नही बनता है तब आवेदन पोषणीय माना जा सकता है। प्राथमिकी के अवलोकन से परिलक्षित होता है कि यह कांड मोटरसाईकिल निबंधन संख्या–बीआर32टी3437 के स्वामी एवं अन्य के विरूद्ध दर्ज किया गया है। कांड दैनिकी के कंडिका 34 के अवलोकन से परिलक्षित होता है कि याचिकाकर्ता उक्त मोटरसाईकिल के स्वामी है तथा दिनांक 04.03.2026 को प्राप्त गुप्त सूचना के आधार पर इस केस के सूचक एवं अन्य पुलिस बल समय करीब 07:40 बजे घोघरडीहा ब्लॉक रोड में हाट गाछी के पास से मोहन कुमार एवं विनोद कुमार को मोटरसाईकिल निबंधन संख्या–बीआर32टी3437 के साथ गिरफतार किया गया तथा उक्त मोटरसाइकल से 116 बोतल, प्रत्येक बोतल में 300 मि0ली0 का कुल 34.8 लीटर नेपाली देशी शराब बरामद किया गया। कांड दैनिकी के कंडिका 37 (शराब	
लगातार..		

Nayan Kumar.

उपस्थितः–श्री नयन कुमार
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–IV–सह–अनन्य वि0 न्या0 उ0, झंझारपुर

Scanned with CamScanner

न्यायालय अनन्य विशेष न्यायाधीश (उत्पाद), झंझारपुर

<u>अग्रिम जमानत संख्या–461/2026</u>

(घोघरडीहा थाना कांड संख्या–35/2026; अन्तर्गत धाराः 274, 275 बी0एन0एस0 एवं 30(ए) बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम)

बिहार सरकार बनाम अजित कुमार

22.05.2026	जांच प्रतिवेदन) के अवलोकन से परिलक्षित होता है कि घटनास्थल से जप्त पदार्थ शराब है। कांड दैनिकी के कंडिका 02, 04, 05, 06, 10 एवं 38 के अवलोकन से परिलक्षित होता है कि सभी साक्षियों द्वारा घटना का पूर्णरुपेण समर्थन किया गया है तथा याचिकाकर्ता के नाम से निबंधित मोटरसाईकिल से शराब के बरामदगी की पुष्टि की गयी है जिससे प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ता के इस कांड मे संलिप्तता एवं उनके द्वारा अपने मोटरसाईकिल का उपयोग शराब के परिवहन एवं तस्करी के लिए किया जाना परिलक्षित होता है। कांड दैनिकी के कंडिका 52 एवं 54 के अवलोकन से परिलक्षित होता है कि याचिकाकर्ता का इस कांड के अलावे कोई अन्य आपराधिक इतिहास नहीं है परंतु उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा वाद की परिस्थितियों, आपराध की प्रकृति एवं विशेषतया वाद के वर्तमान प्रक्रम एवं बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 76(2) को ध्यान मे रखते हुए आवेदक **अजित कुमार** की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन पोषणीय नही होने के कारण **खारिज** किया जाता है। लेखापित NayanKumar. 22.05.26 (श्री नयन कुमार) अनन्य विशेष न्यायाधीश, उत्पाद, झंझारपुर	

उपस्थित–श्री नयन कुमार
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–IV–सह–अनन्य वि० न्या० उ० झंझारपुर